

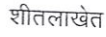
परियोजना का नाम :- देघाट जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में देघाट जौरासी मोटर मार्ग के नव निर्माण में प्रभावित 4.505 है० भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.010 है० भूमि ग्राम सड़का की सिविल बेनाप खाता संख्या 1 में वन पंचायत भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 2605म, 2618 एवं 2619म श्रेणी 9(3)ड़ राज्य सरकार की कृषि योग्य बंजर भूमि है, जिसमें राजस्व विभाग का स्वामित्व है।

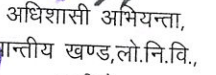

अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत


कन्ति आभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत


शीतलाखेत

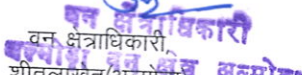

राजेश्वर उप निरीक्षक,
राजस्थानी


राजेश्वर (उप निरीक्षक)


अधिशाली आभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत


Arvind
4050


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी,
राजस्थानी वन विभाग अल्मोड़ा
शीतलाखेत (अल्मोड़ा)


उपजिलाधिकारी रानीखेत
संयुक्त मजिस्ट्रेट,
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संयुक्त निरीक्षण

परियोजना का नाम :- देघाट जौरासी मोटर मार्ग।

आज दिनांक 18.10.2016 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सड़का, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गढस्यारी, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से श्री कुन्दनपुरी गोस्वामी, राजस्व उपनिरीक्षक तथा वन विभाग की ओर से श्री आनन्द सिंह परिहार, वनरक्षक, श्री ~~मितीश~~ ^{देवेगा} ~~तिवारी~~, वन क्षेत्राधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री नन्दन सिंह बिष्ट, अमीन/कु० मीनू देवी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त ग्राम सड़का की 9.01 है० भूमि देघाट जौरासी मोटर मार्ग हेतु उपलब्ध करायी गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी।



अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.
वि., रानीखेत



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
रानीखेत



वन रक्षक
शितलाखेत



राजस्व उप निरीक्षक,
गढस्यारी



तहसीलदार,
रानीखेत (उत्तराखण्ड)



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.
वि., रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
रानीखेत



वन क्षेत्राधिकारी,
शितलाखेत (अल्मोड़ा)

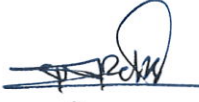


उपजिलाधिकारी रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

अतिक्रमण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- देघाट जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वन भूमि प्रस्ताव में दर्शित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए दर्शित भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु उपलब्ध भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।


अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो.
नि.वि., रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.
वि., रानीखेत


शीतलाखेत


उप
निरीक्षक,
सादरखेत


राजीव (उत्तराखण्ड)
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.
वि., रानीखेत


Arvind
20/5/20


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.
वि., रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी,
शीतलाखेत (अल्मोड़ा)
अल्मोड़ा


उपसिद्धाधिकारी रानीखेत
संयुक्त मार्गस्ट्रीट,
जनपद रानीखेत (उत्तराखण्ड)

गैर ज०वि० खतौनी

परियोजना का नाम :- देघाट जौरासी मोटर मार्ग ।

मौजा - सड़का, पटवारी क्षेत्र- गढस्यारी, तहसील-रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा ।

खाता सं० श्रेणी 9(3)क	नाम खातेदार अकृषिक भूमि	फसली सन्	खेत सं०	रकबा है० में	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	वन पंचायत	—	2605M	1.036	वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है।
			2618	7.048	
			2619M	0.926	
			योग :-	9.010	

अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
रानीखेत

राजस्व उप निरीक्षक,
गढस्यारी

तहसीलदार,
रानीखेत

उपजिलाधिकारी रानीखेत
कतपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)